



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1941 (श०)
(सं० पटना 1143) पटना, शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2019

सं० 5/सी0आर0-323/2011-8315

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प
3 अक्टूबर 2019

विषय :- बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) आलेखन हेतु सोपान (प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार) का निर्धारण।

बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के बदले वित्तीय वर्ष 2012-13 से कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलिखित करने की व्यवस्था लागू करने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या-5277, दिनांक-02.07.2012 एवं संकल्प संख्या-9700, दिनांक-19.11.2018 द्वारा बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकारों का निर्धारण किया गया है।

2. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक- 6588, दिनांक-13.08.2019 द्वारा पूर्व से कार्यरत चार प्रक्षेत्रों यथा- पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर को समाप्त कर कुल- 12 पुलिस क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है। इन 12 क्षेत्रों में से क्रमशः केन्द्रीय क्षेत्र, पटना, मगध क्षेत्र, गया, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा, पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने एवं शेष क्षेत्रों में पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

3. क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक के कार्यालयों का किये गये पुनर्गठन के आलोक में जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकारों का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक हो गया है।

4. अतएव राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आलेखन हेतु प्राधिकारों का पुनर्निर्धारण निम्नरूपेण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र० सं०	प्रतिवेदित पदाधिकारी	प्रतिवेदक पदाधिकारी	समीक्षी पदाधिकारी	स्वीकारक पदाधिकारी
1	जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी	जिला पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप – महानिरीक्षक	पुलिस महानिदेशक	मुख्यमंत्री
2	जिला में नगर पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापित बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी	वरीय पुलिस अधीक्षक	जिला पदाधिकारी	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप-महानिरीक्षक
3	जिला में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस अधीक्षक	जिला पदाधिकारी	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप-महानिरीक्षक
4	अप०अनु० विभाग, विशेष शाखा, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक / वरीय पुलिस उपाधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक	पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा	पुलिस उप-महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक	अपर पुलिस महानिदेशक (अपर पुलिस महानिदेशक के पदस्थापित नहीं रहने की स्थिति में संबंधित इकाई प्रमुख)
5	अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), जिला में पदस्थापित।	जिला पुलिस अधीक्षक	पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल	पुलिस महानिरीक्षक (अभियान)
6	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय)	पुलिस अधीक्षक	जिला पदाधिकारी	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप – महानिरीक्षक
7	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप-महानिरीक्षक कार्यालय में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) / पुलिस उपाधीक्षक (प्रशासन)	क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप-महानिरीक्षक	अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)	पुलिस महानिदेशक

5. कंडिका 4 में निर्धारित प्रावधान मूल्यांकन वर्ष 2019-2020 के दिनांक-15.08.2019 से आगे की अवधि के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु प्रभावी होगा।

6. विभागीय संकल्प संख्या- 5277, दिनांक-02.07.2012 एवं 9700, दिनांक-19.11.2018 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1143-571+500 -डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>